

①

Dr. Honey Singh
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
Sub:- Auditing (Hons)
Paper:- II

Lecture:- 58

PAGE:
DATE:

SANSKRIT College, SAHARSA

B. Com Part 1st

Sub:- Auditing (Hons)

* Introduction *

* (अंकक्षा प्रणाली) *

Audit System

अंकक्षा प्रणाली अंकक्षा तकनीकों का प्रयोग में लाने की विधि है। इसे अंकक्षा कार्य की विधि भी कह सकते हैं। अंकक्षा के कार्य का सम्पादन किस स्कार किया जाय, इसकी कोई प्रमाणित (Standard) विधि नहीं है। अंकक्षक की योग्यता, कार्य का स्वभाव अंकक्षा की आवश्यकता, परिस्थितियाँ कुछ ऐसे तत्व हैं जो अंकक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अंकक्षा प्रणाली को निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है :-

- 1) विशेष चिह्नों का प्रयोग (Use special Tick),
- 2) नैसर्गिक जाँच (Routine checking),
- 3) परीक्षण जाँच (Test checking),
- 4) समस्त जाँच (Overall check),
- 5) गहन जाँच (Intensive Auditing),
- 6) प्रमाणन (Vouching)
- 7) सत्यापन एवं मूल्यांकन (Verification and Valuation)

(2)

* 1. विशेष चिन्हों का प्रयोग * (Use of special Tick)

अंकित करने के समय अंकितकर्ता के द्वारा संस्था के विभिन्न लेन-देनों की जाँच करते समय कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः ऐसे A, P, V, T, X इत्यादि हो सकते हैं। इन चिन्हों का करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है तो निम्नलिखित हैं:

- 1) एक ही उद्देश्य के लिये विभिन्न संस्थाओं में अलग-अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- 2) चिन्हों का प्रयोग ओपनीय होना चाहिए अर्थात् इन चिन्हों का भेद कर्मचारियों को पता नहीं लगना चाहिए।
- 3) एक ही चिह्न का प्रयोग अलग-अलग रंग के पेन्सिलों से किया जाना चाहिए और जिनका अर्थ भी अलग-अलग होना चाहिए।
- 4) अधूरी जाँच के लिये भी विशेष चिह्न का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- 5) पूर्ण जाँच के लिए अलग चिह्न का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- 6) चिह्न में एकस्पता होनी चाहिए तथा इनका आकार छोटा होना चाहिए।
- 7) प्रत्येक वर्ष चिह्नों में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी इन चिह्नों का अर्थ नहीं समझ सके।
- 8) कौबारा लिखे गए (Owner-Working) सामानों पर विशेष चिह्न लगाया जाना चाहिए जिससे उनमें बाढ़ में दूध कपट की गुंजाइश समाप्त हो जाए।

* II नैत्यक जाँच * (Routine Checking)

नैत्यक जाँच से अभिप्राय इस जाँच से है जिसके अंतर्गत संस्था की लेखा-पुस्तकों की जाँच स्वाभाविक ढंग से होती है और जिन्हें संस्था व्यवस्थित रूप से अपने पास रखती है। नैत्यक जाँच के अंतर्गत निम्नांकित क्रियाएं शामिल की जाती हैं :-

- 1) संस्था की प्रारंभिक पुस्तकों से खाताबही में की गयी खतौनी की जाँच,
- 2) शीपनामचा तथा खाता बही के यौगों की जाँच,
- 3) खाताबही में खाता के निकाले गये शेषों की जाँच,
- 4) खातों के शेषों के हस्तान्तरण की जाँच
- 5) तलपट की जाँच,
- 6) विभिन्न लेन-देनों से संबंधित प्रमाणों की जाँच
- 7) तलपट में लिखे गए विभिन्न शेषों की जाँच
- 8) तलपट के यौगों की जाँच
- 9) तलपट के नाम (Dr) व प्रमा (Cr) में Posting की जाँच इत्यादि।

* III परीक्षा जाँच * (Test checking)

प्रत्येक लेखा-पुस्तकों की महत्व जाँच अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। जिन संस्थाओं में आन्तरिक जाँच प्रणाली सुदृढ़ होती है, वहाँ प्रत्येक लेखा-पु-

लेखा-पुस्तकों की गहन जाँच आवश्यक नहीं है, कुछ खास लेखा-पुस्तकों की जाँच कर उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। परीक्षा जाँच के ही आधार पर अन्य खातों की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है। परीक्षा जाँच के ही आधार पर अन्य खातों की शुद्धता का अनुमान बेफिक्र होकर लगाया जा सकता है कि वह खाता पूरी तरह शुद्ध होगा।

दूसरे शब्दों में, संस्था की सम्पूर्ण लेखा पुस्तकों की जाँच नहीं कर खास-खास लेखा पुस्तकों की जाँच की ही परीक्षा जाँच कहते हैं। परीक्षा जाँच इस सिद्धान्त पर आधारित होती है कि जो विशेषताएं न्यायशै (Sample) में पाई जाती हैं; वे समग्र (Universe) में भी विद्यमान होती हैं। इस जाँच की मान्यता सभी देशों में प्राप्त है।

* IV गहन अंकेक्षण / जाँच *

(Intensive Auditing check)

परीक्षा जाँच के विस्तृत स्वरूप को ही गहन जाँच या गहन अंकेक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट पुस्तकों की ही प्रारंभ से लेकर अंत तक जाँच की जाती है। इस जाँच का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि खातों का अंकेक्षण शीघ्र हो जाय। इससे अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य में सुविधा होती है तथा वह कार्य का निष्पादन शीघ्र कर

5

कर पाता है। इसके लिये आवश्यकता इस बात की होती है कि संस्था में आन्तरिक निरीक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था हो। उदाहरणतः यदि माल के क्रय की महन जाँच करनी हो तो निम्न प्रक्रियाएँ की जायेंगी:

- 1) माल खरीदने के आदेश पत्र की प्रतिलिपि की जाँच यह देखना कि क्रय का आदेश, अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा दिया गया है या नहीं,
- 2) माल के बीजक की जाँच,
- 3) माल स्टॉक में रखा गया या नहीं,
- 4) वस्तु के प्रमाणपत्र का बीजक से मिलान,
- 5) भुगतान के आदेश पत्र का सत्यापन,
- 6) भुगतान का प्रमाण (Vouching)
- 7) बिल कार्ड में लेख की जाँच,
- 8) अंकलक की गुणवत्ता रिपोर्ट की जाँच, इत्यादि
- 9)

* सम्पूर्ण जाँच * (Overall Check)

सम्पूर्ण जाँच का अभिप्राय उन प्रक्रियाओं से है जिनसे एक अंकलक किसी संस्था की लेखा-पुस्तकों की सत्यता की जानकारी प्राप्त करता है। न केवल जाँच, परीक्षा जाँच या गहन जाँच से यह आवश्यक नहीं है कि लेखा-पुस्तकों की समस्त अशुद्धियों की जाँच की जाये। अतः कोई अशुद्धि छूट नहीं जाये, इसके लिए सभी जाँच विधियों का समन्वित रूप का प्रयोग ही सम्पूर्ण जाँच कही

(6)

जाती है।

* VII प्रमाण * (Vouching)

संस्था में किये गये लेन-देनों की जाँच संबंधित प्रमाणों के आधार पर किया जाना ही प्रमाण कहा जाता है। प्रमाणक भगत या बनावट तो नहीं है।

* VIII सत्यापन और मूल्यांकन * (Verification and Valuation)

संस्था में फस्तकों में लिखायी गई सम्पत्तियों व दायित्वों का प्रष्टिकरण ही सत्यापन है। इनका अनु-मोदन प्रमाण से किया जाता है किन्तु इतना ही जानना संतोषप्रद नहीं है बल्कि यह भी जानना आवश्यक है कि अंकेक्षण की अवधि में उन सम्पत्तियों एवं दायित्वों की संस्था में विद्यमानता है या नहीं। इसे हम भौतिक सत्यापन (Physical Verification) भी कहते हैं। दूसरी ओर, सम्पत्तियों व दायित्वों का मूल्यांकन, जिनका अभिप्राय है कि संस्था के दायित्व एवं सम्पत्तियों सही मूल्य पर प्रदर्शित किये गये हैं अथवा नहीं। अंकेक्षक का यह आर्थत ही करिब काम है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि स्थायी सम्पत्तियों पर उचित दर से हासकाट भया है या नहीं।

The end

Dr. Honey Singh
(Assistant Professor)
Dept of Commerce
SNRKS College, SAMARSA